

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक: एफ 40(20)ग्रावि/नरेगा/ह.रा./ईको रेस्टो./2010

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
जोधपुर।

27 FEB 2010

विषय :-ईको रेस्टोरेशन के कार्यों में सीमेन्ट मसाले में पक्की दीवार के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-आपका पत्रांक महात्मा गांधी/अभि./12-13/18349 दिनांक 06.02.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा म.गां.नरेगा योजनान्तर्गत ईको रेस्टोरेशन कार्य के तहत सीमेन्ट मसाले की पक्की दीवार बनाई जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4(13) ग्रावि/नरेगा/ह.राज./09-10 दिनांक 09.10.09 (प्रति संलग्न) द्वारा अग्रेसित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर के पत्र दिनांक 15.09.09 में उल्लेख है कि ईको रेस्टोरेशन माडल के अन्तर्गत 50 हैक्टर क्षेत्र में यदि वन भूमि की बाहरी सीमा होती हो उस पर ही 500 मीटर पक्की दीवार बनाई जाना प्रस्तावित है।

साथ ही विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4(13) ग्रावि/नरेगा/ह.राज./2009-10 दिनांक 19.02.2010 (प्रति संलग्न) में भी उल्लेख है कि "संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्रों, सुरक्षित वन क्षेत्रों तथा अन्य वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवारों का निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकता से सम्पादित कराये जावे ताकि वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जा सके।"

तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ट 1 के बिन्दु संख्या 21(पेज 139) पर ईको रेस्टोरेशन कार्य स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेखित पैरा की चौथी-पांचवी लाईन में "ड्राई स्टोन मेशनरी की दीवार" के स्थान पर "पक्की दीवार" किये जाने का संशोधन तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में किया जाता है। उक्त पैरा की संशोधित लाईन की भाषा निम्न प्रकार होगी " इस माँडल के अन्तर्गत 50 हैक्टर क्षेत्र में यदि वन भूमि की बाहरी सीमा होती हो उस पर ही 500 मीटर पक्की दीवार बनाया जाना प्रस्तावित है, दीवार बनाये जाने से वन क्षेत्र को अतिक्रमण एवं अवैध चराई से स्थायी सुरक्षा उपलब्ध होगी"।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करावे।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

भवदीय

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त जिले (जोधपुर को छोड़कर)

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक-एफ1(72) 08 / हरित राज. / विकास / प्रमुखसं / दिनांक:- 15-9-09

निमित्त,

11646

प्रमुख शासन सचिव,  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती  
राज विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

विषय:- नरेगा के अन्तर्गत ईको-रेस्टोरेशन कार्य स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्रीजी द्वारा हरित राजस्थान की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में यह निर्देश दिये गये कि अभयारण्य क्षेत्रों एवं ऐसे वन क्षेत्र जिसमें रुटस्टॉक उपलब्ध है, में पत्थर की दीवार से क्लोजर बनाये जाकर वन विकास के कार्यों को नरेगा के अन्तर्गत सम्पादित किया जावे। बैठक में चाहे अनुसार इस प्रकार के कार्य नरेगा में लिये जाने हेतु ईको-रेस्टोरेशन मॉडल बनाया जाकर सलग्न प्रेषित है। इस मॉडल के अन्तर्गत 50 हेक्टर क्षेत्र में यदि वन भूमि की बाहरी सीमा होती हो उस पर ही 500 मीटर पक्की दीवार बनायी जाना प्रस्तावित है। पक्की दीवार बनाये जाने से वन क्षेत्र को अतिक्रमण एवं अवैध चराई से स्थायी सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार क्षेत्र में नालों को द्रीट किये जाने तथा पानी को संग्रहित करने हेतु छोटी नाडियों बनायी जाने से वन क्षेत्र का विकास होगा तथा वन्यजीवों के लिये पानी उपलब्ध होगा। इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर में 100 रनिंग मीटर कन्दूर ट्रेन्चेज खोदी जाकर उन पर बीजाई का प्रावधान भी रखा गया है जिससे खाली क्षेत्रों में पौधे भी उगेगें। साईट के अनुसार टेक्नीकल एस्टीमेटस उप वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत किये जाकर जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये जावेगें। यद्यपि इस मॉडल में सामग्री के अन्तर्गत 48 प्रतिशत राशि व्यय होगी परन्तु जिला स्तर पर वानिकी के अन्य कार्यों में सामग्री मद के राशि नागण्य होने के कारण यह ध्यान रखा जावेगा कि सामग्रिक रूप से यह प्रतिशत कभी भी 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कृपया नरेगा के अन्तर्गत ईको-रेस्टोरेशन कार्य को सभी जिलों में स्वीकृत किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को आपके स्तर से निर्देशित कराने का कष्ट करें।

सलन:- उक्तानुसार

भवदीय

*[Signature]*  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर

8 OCT 2009

कमांक : एफ.1(72)08 / हरित राज / विकास / प्रमुखसं /

दिनांक :

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / उदयपुर / अजमेर / भरतपुर / कोटा / वन्य जीव, जयपुर / वन्य जीव, उदयपुर / वन्य जीव, जोधपुर / परियोजना, कोटा / बनास परियोजना, जयपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

F4413 RD / NRBSA / H. Raj / 01-10

9 OCT 2009 (विकास) राजस्थान, जयपुर

Copy to Dist Collectors & DPC (NREGA) - ALL  
CEOs & ADPC (NREGA) - ALL for n/a

*[Signature]*  
8/10/09  
PD EGS

### MODEL COST ESTIMATES FOR ECO-RESTORATION

UNIT : 50 Ha.

PERIMETER : 60 M/Ha.

LABOUR RATE : Rs. 100/- Day

COST ESTIMATES IN Rs. / Ha.

FIRST YEAR		(Amount Rs. in lac)			
S.No.	Item	Rate	Material	Labour	Total
1	Survey and demarcation of area and also preparation of treatment map and accordingly prepare estimate of site	29/Ha.	4	25	29
2	Fencing of areas		0	0	0
	A Partly by ditch 1.20m. Deep, 1.50 m. wide at top and 0.80 m. at bottom (on an average 30m/Ha.)	108.33/m	0	3250	3250
	B Partly by stone wall 1.20 m. height, 0.80 at base and 0.60 m. at top (on an average 20 m./Ha.)	100/M.	0	2000	2000
	C Partly by masonry pucca wall height 1.20m., width 0.45m. with pillar having width 0.6m. length 0.45m. at the interval of 2.25m., on the outer forest boundary (on an average 10 m./Ha.)	1600/M.	12800	3200	16000
3	Treatment of gullies by construction series of check dams and dry random rubble/earthen/brush wood/silt detention dams/small anicuts/nadis.	Prorata	1154	3791	4955
4	Restoration of natural regeneration by cut back of root-stock and making crescent shaped mounds.	Prorata	8	375	383
5	Eradication of weeds	Prorata	72	556	628
6	Digging of 100 mt. Of Staggered/Continuous contour trenches of cross section 45 x 45 cm. and "V" ditch as per site requirement.	12.50/m.	0	1250	1250
7	Sowing or dibbling of grass and other seeds including cost of seeds.	Prorata	48	151	199
8	Construction of approach road, inspection path and walking trails.	Prorata	209	784	993
9	Purchase of Sign boards & their fixing.	Prorata	83	38	121
10	Miscellaneous and unforeseen expenditure	Prorata	42	52	94
	<b>Total</b>		<b>14429</b>	<b>15471</b>	<b>29900</b>

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक 4(13) ग्रावि / नरेगा / ह.राज / 2009-10

जयपुर, दिनांक.- 19/2/2010.

—:: आदेश ::—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 6.1.3 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

"The maintenance of assets created under the Scheme (including protection of afforested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other programmes but belonging to the sectors of works approved in Schedule I of the Act."

उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि वन क्षेत्र/वन संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा के कार्य योजनान्तर्गत अनुमत है। योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या 2 में सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्य अंकित है। बीजारोपण, पौधा रोपण एवं वन क्षेत्र के रूट स्टॉक को सुरक्षित रखना तीनों ही कार्य पौधा रोपण एवं वन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इस कार्य हेतु पक्की चारदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः हरित राजस्थान कार्यक्रम जो कि नरेगा योजनान्तर्गत चलाया जा रहा है, के अंतर्गत संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों, सुरक्षित वन क्षेत्रों तथा अन्य वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवारों का निर्माण कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकता से संपादित कराये जावें, ताकि वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जा सके।

योजनान्तर्गत ऐसे कार्यों को एक परियोजना के रूप में संपादित कराये जावे, जिसमें ना केवल चारदीवारी का निर्माण कार्य शामिल हो बल्कि उस वन्य

2  
19/2/10

क्षेत्र में अन्य कार्य यथा जल संरक्षण/संग्रहण के कार्य, पौधा रोपण के कार्य आदि कार्य भी सम्मिलित हो। कार्य का तकमीना पूर्णरूपेण तैयार किया जावे एवं इसमें निम्न बातों का ध्यान रखा जावे:-

- कार्य का तकमीना ग्राम पंचायतवार बनाया जावे।
- तकमीने में वर्षवार संपादित की जाने वाली गतिविधियां स्पष्टतः अंकित की जावे।
- कार्यवार श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जावे।
- कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जावे।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय



(सी.एस राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, मा0 मंत्री वन विभाग।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि)।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग।
- 6 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
- 7 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
- 8 अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 9 रक्षित पत्रावली।
- 10 प्रभारी हरित राजस्थान
- 11 प्रोग्रामर वेबसाइट पर अपलोड हेतु



परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस